मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 1999 (फाल्गुन 28,1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख -

(1) श्री सीता प्रसाद शर्मा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(2) श्रीमती लक्ष्मी बाई पटेल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा ;एवं
(3) श्री नवल किशोर गर्ग, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री लिखीराम कावरे, परिवहन मंत्री, रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन एक्ट, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) तथा धारा 35 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखे वर्ष 1996-97 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 1996-97 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री चनेशराम राठिया, मछली पालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम अधिनियम, 1979 (क्रमांक 6 सन् 1979) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री आरिफ अकील, राज्य मंत्री,खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, राष्ट्रीय - अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (क्रमांक 19 सन् 1992) की धारा 9 (1) (सी) सहपठित धारा 9 (3) की अपेक्षानुसार झाबुआ जिले के नवापारा में घटित घटना के संबंध में राष्ट्रीय-अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट तथा रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं पर राज्य शासन द्वारा की गई कार्यवाही वर्ष 1998-99 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम सिलारी के आदिवासी कृषकों की भूमि पर कब्जा किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रमाकांत तिवारी, सदस्य, रीवा जिले की नगर पंचायत चाकघाट में नेशनल हाईवे की भूमि का अवैध पट्टा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री अन्तर सिंह दरबार, सदस्य, महू के हेमा एवं बेरछा रेंज में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा एवं व्यवस्थापन कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री धरमू राय, सदस्य, सागर जिले के मालथौन विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री जगजीत सिंह मक्कड़, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम मन्नाडोल बस्ती अंतर्गत खदान धसकने से तीन श्रमिकों की मौत होने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री सुधाकर राव बापट, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिला कलेक्टर द्वारा जन प्रतिनिधियों की उपेक्षा किये जाने की ओर सामान्य प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य, राजनांदगांव जिले के वन परिक्षेत्र डोंगरगांव अंतर्गत वनों की अवैध कटाई किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री हरिन्दरजीत सिंह (बब्बू), अजय विश्नोई, बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, जबलपुर जिले के आपनपुरी निवासी एक वृद्ध महिला को जिन्दा जलाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, प्रदेश के चिकित्सालयों में दिल की बीमारी के इलाज हेतु आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री बाबूलाल मीर, सदस्य, बैतूल जिले के पाथाखेड़ा स्थित कोयले की आठ खदानें बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.